**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल**

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20225/2016/ 1761 भोपाल, दिनांक 21/03/2024

प्रति,

वन महानिदेशक(एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

**विषयः– वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के विभिन्न वन कक्षों की वनभूमि एवं सिंगरौली के ग्राम चूरीदेह, झिंगुरदह के विभिन्न खसरों की राजस्व वनभूमि (कुल 390.264 हे. वनभूमि) में से स्वीकृत रकबा 353.764 हे. वनभूमि बीना–कांकरी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु नॉर्दर्न कोलफील्डस् लि. को उपयोग पर देने बाबत्। आन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/20225/2016**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली का पत्र दिनांक 15 / 03 / 2024

––0––

कृपया आपने संदर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक अनुमति पत्र दिनांक 13 / 01 / 2020 में अधिरोपित निम्नलिखित शर्त को विलोपित किया गया है।

(iii ) The copy of report of FSI, Nagpur regarding inability to redraw the proposal on the lines of analysis of Amelia Coal Block shall be submitted prior to Stage-II approval.

विषयांकित परियोजना में आपके द्वारा जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक अनुमति पत्र दिनांक 13 / 01 / 2020 में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्र. / F-1/FP/MP/MIN/ 20225/2016/473 दिनांक 01 / 02 / 2021 को आपको प्रेषित किया जा चुका है प्रति संलग्न है तथा आपके एक अन्य पत्र क्र. / 8-69/2018-FC दिनांक 15 / 05 / 2023 से चाही गई जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 3082 दिनांक 11 / 07 / 2023 से प्रेषित की जा चुकी है प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित परियोजना की द्वितीय चरण औपचारिक अनुमति प्रदान करने का कष्ट कीजिए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

20.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)
**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

पृ. क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20225/2016/ 1762 भोपाल, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपिः–

1 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
2 महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बीना–विस्तार परियोजना सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

20.03.24

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)**
**ध्मध्यप्रदेश, भोपाल**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/20225/2016/473 भोपाल, दिनांक 01-02-21

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के विभिन्न वन कक्षों की वनभूमि एवं सिंगरौली के ग्राम चूरीदेह, झिंगुरदह के विभिन्न खसरों की राजस्व वनभूमि (कुल 390.264 हे. वनभूमि) में से स्वीकृत रकबा 353.764 हे. वनभूमि बीना–कांकरी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु – NCL के पक्ष में व्यपवर्तन ।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-69/2018-FC दिनांक 13/01/2020

––0––

कृपया प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक/8-69/2018-FC दिनांक 13/01/2020 से प्रदत्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रीवां द्वारा पत्र दिनांक 12/01/2021 से प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

| शर्त क्र. | अधिरोपित शर्त | अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| i | Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged. | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। |
| ii | Compensatory afforestation over the degraded forest land of 353.764 ha. (twice in extent to the area of forest land proposed to be diverted (2 x 353.764 = 707.528 ha.) of degraded forest land shall be raised within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter as per approved plan by the State Forest Department at the cost of the user agency; | आवेदक संस्था क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 28,78,40,991/– ई–पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के कैम्पा मद में जमा की गई है। जमा राशि का विवरण पत्रक संलग्न है। |
| iii | The copy of report of FSI, Nagpur regarding inability to redraw the proposal on the lines of analysis of Amelia Coal Block shall be submitted prior to Stage-II approval. | इस शर्त के संबंध में FSI, Nagpur को पत्र क्रमांक 55 दिनांक 04/1/2020 तथा पत्र क्र. 474 दिनांक 05/02/2020 से लेख किया गया था। FSI, Nagpur से इस संबंध में उत्तर अपेक्षित है। इस शर्त का पालन प्रतिवेदन FSI, Nagpur से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। |

o/c

| | | |
|---|---|---|
| iv | The revised KML file of 353.764 ha of the proposed forest land shall be uploaded on eportal which will be verified by the DSS team of FSI. | प्रस्ताव में सैद्धांतिक अनुमोदन होने के बाद प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की KML File में सुधार किया जाना संभव नहीं होता है। |
| v | The revised KML file of degraded forest land proposed for CA shall be uploaded on e- portal. | प्रस्ताव के भाग–2 में बिन्दु क्र. 19 में अपलोड कर दी गई है। |
| vi | The state Government shall furnish a certificate that the proposed CA land is free from encroachment and any encumbrance, and also that no plantation (under any scheme/programme) was taken up in any part of the proposed CA site in last ten years; | प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण दुगने–बिगड़े वनों में किया जाना है। चयनित स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा अतिक्रमणमुक्त है। प्रमाण पत्र वृक्षारोपण योजना में पूर्व से ही संलग्न कर प्रेषित किये गये है। |
| vii | The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale; | क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्रों को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट स्केल 1:50 000 में दर्शाकर मानचित्र संलग्न है। |
| viii | The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years; | आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 28,78,40,991/– भारत सरकार के कैम्पा मद में ई–पोर्टल द्वारा आनलाईन जमा की गई है। जमा राशि का विवरण संलग्न है। |
| ix | The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) for 353.764 ha. of forest land to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of CAMPA account of the State Concerned; | आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 28,40,72,492/– भारत सरकार के कैम्पा मद में ई– पोर्टल द्वारा आनलाईन जमा की गई है। जमा राशि का विवरण संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| x | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-2 पर संलग्न हैं। |
| xi | The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; | आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय चरण स्वीकृति पर वन मंडल अधिकारी द्वारा मांग पर दिये जाने पर वृक्षों की कटाई व्यय की राशि का भुगतान संस्था द्वारा किया जावेगा। |
| xii | The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required; | आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक J-11015/2011-IA.II दिनांक 06/08/2014 से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जो Annexure-3 पर संलग्न हैं। |
| xiii | Following activities shall be undertaken by the user agency under the supervision of the State Forest Department at the project cost and appropriate cost of the plan / scheme shall be deposited in CAMPA account through online E-portal; | |
| | a. A plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented; | भूमि क्षरण को न्यूनतम और जल बहाव को बाधित होने पर इसे राकने हेतु समुचित उपाय परियोजना के व्यय पर आवेदक संस्था द्वारा किया जावेगा। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत योजना Annexure-A पर संलग्न हैं। |
| | b. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion; | भूमि का क्षरण रोकने के लिए, लीज खनन क्षेत्रान्तर्गत परियोजना व्यय पर समुचित संख्या में सुखा समर्थ प्रजाति के पौधों एवं बीजों का रोपण आवेदक संस्था द्वारा किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत योजना Annexure-B पर संलग्न हैं। |
| | c. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour; | आवेदक संस्था द्वारा उत्खनित सामग्री के बिखराव को रोकने के लिए लीज क्षेत्र में चैक डेम, अवरोधक, दीवारें आदि का निर्माण परियोजना व्यय पर किया जावेगा, इस हेतु आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत योजना Annexure-C पर संलग्न हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | d. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that that angles of repose at any given place is less than 280; and | ओवर बर्डन का यथोचित श्रेणीकरण, बेंचिग से स्थिीकरण परियोजना के व्यय पर किया जावेगा किसी भी स्थान पर ढलान 28 डिग्री से कम नहीं हो इसका ध्यान आवेदक संस्था द्वारा रखा जावेगा। |
| | e. Strict adherence to the prescribed top soil management; | उपरि मृदा प्रबंधन हेतु आवेदक संस्था सहमत है। |
| xiv | All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through online e-portal (https:/ /parivesh.nic.in/); | आवेदक संस्था द्वारा इस परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार के कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा की गई है जमा राशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। |
| xv | The user agency shall prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biologically reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan and progressive mine closure plan and submit an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-4 पर संलग्न हैं। |
| xvi | User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project; | आवेदक संस्था द्वारा पक्षियों के लिये एको–फ्रेडली मटेरियल से घौसले विभिन्न वनक्षेत्र में तैयार कर लगाये गये है जिसका छायाचित्र Annexure-5 पर संलग्न हैं। |
| xvii | User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake fencing, protection and afforestation of the safety zone area at the project cost; | आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि वन मंडल सिंगरौली के अन्तर्गत जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जावेगा उस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सेफ्टी जौन क्षेत्र को पिल्लर लगाकर फेंसिंग कार्य किया जावेगा और उस पर पेंटिंग कर अक्षांश–देशांस दर्शाये गये है जिसका छायाचित्र संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| xviii | User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, one and half time in extent to the area used for safety zone; | आवेदक संस्था द्वारा सेफ्टी जोन क्षेत्र में डेढ़ गुना किये जाने वाले वृक्षारोपण की राशि रूपये 54,14,358/– कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कर दिये गये है। जमा राशि का विवरण निर्धारित पत्र में संलग्न है। । |
| xix | Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the Rules framed there-under as amended; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। |
| xx | User agency either itself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 meters from outer perimeter of the mining lease; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। |
| xxi | The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km. from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake de-silting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed plan for de-silting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF& CC before Stage-II approval; | माईनिंग लीज क्षेत्र सीमा के 5 कि.मी. परिधि में स्थित गांवों के तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतो का गहरीकरण कराया जावेगा। जिससे गाद भराव की समस्या को न्यूनतम किया जा सकें। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत योजना Annexure-7 पर संलग्न हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| xxii | The User Agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones; | आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत पुर्नवास और पुर्नवास-योजना वर्ष 2012 की प्रति Annexure-8 पर संलग्न हैं। |
| xxiii | User agency shall undertake mining in a phased manner and take due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan shall be executed by the User Agency as per the approved mining plan/scheme and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh and the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Bhopal. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the user agency, the Nodal Officer or the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities to be suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed; | आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-9 पर संलग्न हैं। |
| xxiv | No labour camp shall be established on the forest land; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। |
| xxv | User agency shall provide firewood preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas; | आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना स्थल पर श्रमिकों/कर्मचारियों को वैकल्पिक ईंधन (रसाई गैस) उपलब्ध कराया जावेगा। वनक्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा।<br>आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-10 पर संलग्न हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| xxvi | Boundary of the mining lease and safety zone shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates; | आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि व्यपवर्तित वनभूमि की सीमा, खनन लीज व सुरक्षा क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे कांक्रीट पिलर्स से सीमांकन किया जावेगा तथा आगे–पीछे अनुक्रमांक तथा दो पिलर्स के बीच की दूरी तथा डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स का अंकन परियोजना व्यय पर किया जावेगा। |
| xxvii | Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-11 पर संलग्न हैं। |
| xxviii | State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in it's letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 3rd August 2009 read with 05.07.2013, in support thereof; | अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कलेक्टर सिंगरौली का निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 920 दिनांक 26/03/2016 Annexure-12 पर संलग्न हैं। |
| xxix | The details of such number of trees to be felled on forest as well as non-forest area in the lease and plantation of double the number of trees in the lease area or outside will be provided to the concerned Divisional Forest Office, and the Concerned Regional Office of the Ministry who will monitor such plantation efforts by the company; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-13 पर संलग्न हैं। |
| xxx | The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year; | आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-14 पर संलग्न हैं। |
| xxxi | The Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the para 1.21 of comprehensive guidelines issued vide this Ministry F. No.5-2/2017-FC dated 28th March, 2019; | आवेदक संस्था शर्त से सहमत है। |

| | | |
|---|---|---|
| xxxii | Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried with by the State Government and user agency; | आवेदक संस्था शर्त से सहमत है। |
| xxxiii | The State Government and user agency shall ensure compliance to all conditions stipulated in the Stage-I approval for which undertakings have been obtained from the user agency and also the provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (S), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project; | आवेदक संस्था शर्त से सहमत है। |
| xxxiv | The complete compliance report with undertakings and plans/schemes will be **uploaded on the web-portal** (https://parivesh.nic.in/); | पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर आनलाईन अपलोड कर दिया गया है। |

अतः प्राप्त पालन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

01/02/2021
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/20225/2016/474 भोपाल, दिनांक 01-02-21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, रींवा वृत्त, रींवा मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल सिंगरौली मध्यप्रदेश
3. महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि. बीना–विस्तार परियोजना सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/02/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

01/2

(605)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20225/2016/ 3082 भोपाल, दिनांक 11/07/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3 ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल।

**विषयः– वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के विभिन्न वन कक्षों की वनभूमि एवं सिंगरौली के ग्राम चूरीदेह, झिंगुरदह के विभिन्न खसरों की राजस्व वनभूमि (कुल 390.264 हे. वनभूमि) में से स्वीकृत रकबा 353.764 हे. वनभूमि बीना–कांकरी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु नॉर्दर्न कोलफील्डस् लि. को उपयोग पर देने बाबत्। आन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/20225/2016**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-69/2018-FC दिनांक 10/07/2023
15/05/2023 0—

कृपया प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली द्वारा संदर्भ पत्र से उनके पत्र दिनांक 15/05/2023 से चाही गई तीन बिन्दुओं की जानकारी आपको प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है । अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा चाही गई तीन बिन्दुओं की जानकारी नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पत्र क्रमांक / 559 दिनांक 30 / 05 / 203 से प्राप्त हुई है । प्राप्त जानकारी आपके समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

| अनुक्र. | चाही गई जानकारी का प्रकार | प्रस्तुत जानकारी का विवरण |
|---|---|---|
| i | The details of total number of proposals approved in favour of M/s Northern Coalfields Limited in the existing landscape. | नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों की सूची (Annexure-I ) पर संलग्न प्रस्तुत है। |
| ii | The Status of reclamation of mined out areas in case of mines under the control of M/s Northern Coalfilelds Limited in the region. | आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत रिक्लेमेशन की जानकारी (Annexure-II ) पर संलग्न प्रस्तुत है। |
| iii | The status of compliance of conditions stipulated in all approved proposals in favour of M/s Northern Coalfilelds Limited in the existing landscape will be submitted by the State through IRO Bhopal, who in turn examine the same and will visit the areas if needed and submit a comprehensive report in this regard within 45 days. | वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन (Annexure-III ) पर संलग्न प्रस्तुत है। |

अतः प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

11/07/2023
(सुनील अग्रवाल)
**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

0/c

606

पृ. क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20225/2016/ 3083 भोपाल, दिनांक 11/07/2023

प्रतिलिपिः–

1 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

2 महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बीना–विस्तार परियोजना सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)**
**ध्मध्यप्रदेश, भोपाल**